Date ______
Page ______

"उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी"

दिनाँक 10 अप्रैल 2014 को वित्त समीति की सातवी बैठक कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समीति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभागार में प्रातः 11:30 बजे सम्पन्न हुई, बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया,

01)- प्रो० सुभाष धूलिया — अध्यक्ष
कुलपति एवं अध्यक्ष
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

02)- श्री सुधीर चद्दा — सदस्य
सदस्य कार्यपरिषद

03) सुश्री कृष्णा रौतेली — सदस्य
सदस्य प्रमुख "सचिव वित्त"

04) श्रीमती गंगोत्री त्रिपाठी — सदस्य

05) श्रीमती आभा गर्खाल — सचिव
सचिव

06) डा० संजय ध्यानी — विशेष आमंत्रित
विशेष आमंत्रण

मद संख्या–7.04– वित्तीय वर्ष 2013–14 में आयोजनागत पक्ष में शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के व्यय का विवरण।

समिति द्वारा आयोजनागत पक्ष में जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है, का प्राप्त अनुदान एवं उसके सापेक्ष व्यय का अवलोकन किया गया, तथा समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि भवन निर्माण में समय सीमा तथा गुणवत्ता परक कार्य को सुनिश्चित किया जाय।

अ)	भवन निर्माण मद में वर्ष 2012–13 में प्राप्त अनुदान की अवशेष राशि	–	रू0 3,21,49,000/–
ब)	वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए स्वीकृत धनराशि	–	रू0 1,74,52,000/–
स)	दिनांक–31 मार्च, 2014 तक उपयोग की गयी धनराशि	–	रू0 4,47,68,500/–
द)	दिनांक–31 मार्च, 2014 को अवशेष धनराशि	–	रू0 48,32,500/–

मद संख्या–7.05–वित्तीय वर्ष 2013–14 में अन्य श्रोतों (शुल्क) से प्राप्त आय–व्यय पर विचार एवं अनुमोदन।

वित्त समिति, अन्य आय के श्रोतों, (शुल्कादि) से प्राप्त धनराशि तथा उसके सापेक्ष किये गये व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरणानुसार अवगत हुई। दिनांक–31 मार्च, 2014 को इस मद में अवशेष राशि पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए इस राशि से भविष्य की योजनाओं हेतु सावधि जमा/एफ0डी0आर0 बनाये जाने का निर्देश दिया।

अ)	अन्य श्रोतों से (शुल्कादि) मद में वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त कुल आय	–	रू0 14, 91,40,974/–
ब)	उपरोक्त के विरूद्ध कुल व्यय	–	रू0 11,72,31,908/–
स)	दिनांक–31 मार्च, 2014 को अवशेष धनराशि	–	रू0 3,19,09,066/–

मद संख्या–7.06– दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (पूर्वतः दूरस्थ शिक्षा परिषद) नई दिल्ली से वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में प्राप्त अनुदान का विवरण।

विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए अवमुक्त किये गये अनुदान में से रू0 1,28,15,102/– की धनराशि 31 मार्च, 2013 को अवशेष थी, वर्ष 2013–14 हेतु दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के अवशेष राशि के अतिरिक्त रू0 2,58,84,898/– धनराशि अवमुक्त की गयी, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कुल अनुदानित धनराशि रू0 387.00 लाख प्राप्त हुई।

दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो से प्राप्त अनुदान में मानव संशाधन मद में भी धनराशि अवमुक्त की जाती है, चूंकि वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मानव संशाधन मद में वांछित राशि सीमित थी, तथा अनुदान राशि काफी विलम्ब से प्राप्त हुई अतः इस मद में प्राप्त राशि के विपरीत पूर्व से नियोजित कार्मिकों (एकेडमिक एशोसिएटस एवं परामर्शदाताओं) को मानदेय भुगतान हेतु अन्य आय के श्रोतों (शुल्कादि) से भुगतान किया गया, वित्त समिति द्वारा निर्देशित दिया गया कि

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

प्रो० सुभाष धूलिया
कुलपति

सर्वप्रथम वित्त समिति के सदस्य सचिव, द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तथा कुलपति एवं अध्यक्ष, वित्त समिति की अनुमति से विश्वविद्यालय की वित्त समिति की सातवीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

मद संख्या–7.01–वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक–10 अप्रैल, 2013 को सम्पन्न हुई छठीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

वित्त समिति की छठी बैठक दिनांक–10 अप्रैल, 2013 के कार्यवृत्त को पत्र संख्या–यू0ओ0यू0/वित्त/2013/773/3840 दिनांक–17 अप्रैल, 2013 के द्वारा सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में कोई सुझाव/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ। अतः छठी बैठक के कार्यवृत्त की समिति द्वारा पुष्टि की गयी।

मद संख्या–7.02– वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक–10 अप्रैल, 2013 को सम्पन्न हुई छठीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही

सचिव, वित्त समिति द्वारा विगत बैठक में पारित प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रस्तर वार कृत कार्यवाही से समिति को अवगत कराया। समिति द्वारा कृत कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की गयी।

मद संख्या–7.03– वित्तीय वर्ष 2013–14 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राप्त धनराशि के आय–व्यय एवं वर्ष 2014–15 के प्रस्तावित आय–व्यय का विवरण।

समिति ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार से आयोजनेत्तर पक्ष में प्राप्त अनुदान, एवं उसके व्यय का अवलोकन, तथा वर्ष 2014–15 के लिए अनुमानित व्यय, जो बिन्दु–'द' में वर्णित है, का अनुमोदन प्रदान किया।

)	वित्तीय वर्ष 2012–13 का अवशेष	–	रू0	1,09,880/–
)	वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार से वेतन, भत्ते एवं अन्य मदों हेतु प्राप्त अनुदान	–	रू0	4,00,00,000/–
)	सहायक अनुदान संख्या–20	–	रू0	6,00,000/–
	योग	–	रू0	**4,07,09,880/–**
	वित्तीय वर्ष 2013–14 का वास्तविक व्यय	–	रू0	3,92,12000/–
	31 मार्च, 2014 को अवशेष	–	रू0	14,97,880/–
	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वेतन, भत्ते तथा अन्य मदों हेतु अनुमानित व्यय	–	रू0	7,50,000,00/–

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

प्रो० सुभाष धूलिया
कुलपति

विश्वविद्यालय द्वारा मानव संशाधन मद में अधिक धनराशि आवंटित किये जाने हेतु दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो से पुनः अनुरोध किया जाय

समिति ने यह भी निर्देशित किया कि मानव संशाधन का नियोजन दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों एवं इस मद में उपलब्ध धनराशि के अनुरूप किया जाय। तथा समिति द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि इस बिन्दु पर कृत कार्यवाही से वित्त समिति को आगामी बैठक में अवगत कराया जाय।

मद संख्या–7.07–पी0एच0डी0 पाठयक्रम में प्रवेश शुल्क मद में परिर्वतन के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

वित्त समिति द्वारा पी0एच0डी0 पाठयक्रम हेतु शैक्षणिक वर्ष 2014–15 से प्रवेश शुल्क में रू0 2500/– के स्थान पर रू0 1000/– किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया समिति ने यह भी अपेक्षा की कि प्रवेश शुल्क में की गयी कमी के फलस्वरूप पी0एच0डी0 पाठयक्रम में प्रवेश आवेदको की संख्या में वृद्धि होगी।

मद संख्या–7.08– सहायक प्राध्यापकों /एकेडमिक एशोसिएटस की मोबाइल फोन के रिचार्ज, सुविधा दिये जाने हेतु प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में विचार।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के समय कुलपति ने यह अवगत कराया कि प्रदेश की विषम भौगोलिक स्थिति तथा सभी स्थानों पर इंटरनैट आदि की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण विद्यार्थियों द्वारा सम्बन्धित विषय के शिक्षकों एवं एकेडमिक एशोसिएट से सम्पर्क किया जाता है। जिस पर जानकारी एकत्रित कर सम्बन्धित विद्यार्थियों को उनकी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में सूचित किया जाना होता है, अतः परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए समिति द्वारा शैक्षणिक कार्यों में लगे सहायक प्राध्यापकों/एकेडमिक एशोएिटस को प्रतिमाह रू0 500/– की सीमा तक मोबाइल रिचार्ज की प्रतिपूर्ति पर सहमति व्यक्त की गयी। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन एवं अन्य सरकारी विभागों से जनसम्पर्क का कार्य सम्पादन करने वाले अधिकारी को भी यह सुविधा अनुमन्य किये जाने पर सहमति प्रदान की कि वह अधिकरी/अन्य को तब तक ही यह लाभ अनुमन्य होगा, जब तक वह जनसम्पर्क कार्य को निष्पादित करेगा।

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

प्रो० सुभाष धूलिया
कुलपति

मद संख्या–7.09– <u>एम0पी0डी0डी0 विभाग में रू0 10000/– स्थायी अग्रिम स्वीकृत किये जाने पर विचारार्थ एवं अनुमोदन।</u>

समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि अग्रिम के समायोजन हेतु सभी बाउचरों का सत्यापन निदेशक एम0पी0डी0डी0 द्वारा किया जायेगा। तथा वर्तमान अग्रिम के समायोजन के उपरान्त ही पुनः अग्रिम स्वीकृत किया जाय।

वित्त समिति ने यह भी अपेक्षा की, कि स्थायी अग्रिमों को सीमित रखा जाय तथा इस प्रकरण को भविष्य में स्थायी अग्रिम स्वीकृति के लिए दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

मद संख्या–7.10– <u>विज्ञान के छात्रों के लिए प्रयोगशाला कार्य तथा प्रयोगात्मक परीक्षा कार्य के सुचारू संचालन हेतु मानदेय की स्वीकृति।</u>

समिति द्वारा विज्ञान के छात्रों के लिए प्रयोगशाला कार्य तथा प्रयोगात्मक परीक्षा कार्य के सुचारू संचालन हेतु प्रस्तावित संशोधित दरों का अवलोकन एवं कुलपति के अनुमोदन से पूर्व में किये गये भुगतान पर कार्येत्तर स्वीकृति पर भी सहमति व्यक्त की गयी।

मद संख्या–7.11–<u>विश्वविद्यालय के कार्मिकों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठयक्रमों में प्रवेश लेने पर छूट दिये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।</u>

समिति ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया तथा पारित किया कि–

1) पाठयक्रम शुल्क में छूट विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों, अधिकारियों, शिक्षणेत्तर कार्मिकों तथा वाहय सेवा प्रदाता से या अन्य श्रोत से नियोजित कार्मिको तथा उनके पाल्यों (पति पत्नी अथवा पुत्र पुत्री) को ही अनुमन्य होगा।

2) विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों, अधिकारियों, शिक्षणेत्तर कार्मिकों तथा वाहय सेवा प्रदाता से या अन्य श्रोत से नियोजित कार्मिको पाठयक्रम शुल्क में 50 प्रतिशत की सीमा तक, तथा उनके पाल्यों को 25 प्रतिशत तक, की सीमा तक छूट अनुमन्य होगी।

3) पाठयक्रम शुल्क से इतर अन्य किसी शुल्क में यह छूट अनुमन्य नहीं होगी।

4) ऐसे कार्मिकों शिक्षकों, अधिकारियों, शिक्षणेत्तर कार्मिकों तथा वाहय सेवा प्रदाता से या अन्य श्रोत से नियोजित कार्मिको को पाठयक्रम शुल्क में छूट प्रदान नही की जायेगी जो किसी भी प्रकार परीक्षा कार्य से सम्बन्धित हों।

5) पाठयक्रम शुल्क में छूट सम्बन्धित निदेशक/विभागाध्यक्ष/परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा प्रदान की जायेगी।

सम्बन्धित निदेशक/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस व्यक्ति को पाठयक्रम शुल्क में छूट हेतु संस्तुत किया जा रहा है। उससे विश्वविद्यालय की किसी भी विभाग की गोपनीयता भंग नहीं होगी।

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

प्रो0 सुभाष धूलिया
कुलपति

मद संख्या–7.12– **विश्वविद्यालय में शोधार्थियों को व्याख्यान तथा सेमीनार आदि में समय–समय पर आमंत्रित किये गये शिक्षा जगत के विशेषज्ञों तथा अति विशिष्ट महानुभावों को मानदेय भुगतान की स्वीकृति पर विचार एवं अनुमोदन।**

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त आमंत्रित विशेषज्ञों को वर्गीकृत करते हुए निम्नवत मानदेय भुगतान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

क्रम संख्या	वर्ग	प्रति व्याख्यान	अधिकतम (प्रतिदिन)
1.	सामान्य व्याख्यान/सेमीनार	रू0 1500/–	रू0 2500/–
2.	अतिविशिष्ट /प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों व्याख्यान/सेमीनार/कार्यशाला	रू0 1500/–	रू0 4500/–

मद संख्या–7.13– **अनुरक्षण एवं मरम्मत के सुचारू कार्य संचालन हेतु कार्मिकों को मोबाइल सुविधा दिये जाने पर विचार।**

वित्त समिति द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ सहमति व्यक्त की, कि प्रस्तावित सुविधा सम्बन्धित कार्मिकों को उनके द्वारा सम्बन्धित कार्य निष्पादन की तिथि तक ही देय होगा।

मद संख्या–7.14–**कुलसचिव श्री लक्ष्मण सिंह रावत के वेतन संरक्षण पर विचार एवं निर्णय हेतु।**

प्रकरण उत्तराखण्ड शासन के क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण समिति द्वारा यह मत व्यक्त किया कि ऐसे प्रकरण जो शासन स्तर पर विचार किया जाना हो, अथवा शासन को पूर्व में सन्दर्भित किये गये हो, को वित्त समिति के समक्ष तभी प्रस्तुत किया जाय, जब शासन द्वारा प्रकरण पर वित्त समिति में विचार किये जाने के निर्देश दिये गये हो, कुलसचिव का प्रकरण शासन द्वारा निर्णित किया जाना है। अतः वित्त समिति इस सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नहीं कर सकती।

मद संख्या–7.15– **विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की छठीं बैठक दिनांक–04 फरवरी, 2014 को पारित कार्यवृत्त के अनुमोदन एवं वित्तीय उपाशय निहित मदों पर विचार एवं अनुमोदन।**

वित्त समिति द्वारा प्रकरण पर विचारोपरान्त यह मत व्यक्त किया कि प्रस्ताव के बिन्दु–'क' से 'च' व 'झ' के सम्बन्ध में अन्य विश्वविद्यालय यथा इग्नू, कुमांयू व गढवाल से दरें प्राप्त कर तुलनात्मक स्थिति वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

समिति द्वारा बिन्दु 'छ' के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया कि यात्रा भत्ता कोई लाभ का श्रोत नहीं है। तथा यात्रा भत्ता का भुगतान समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित दरों के प्राविधानों के अनुसार ही अनुमन्य किया जा सकता है।

प्रस्ताव के बिन्दु 'ज' पर वित्त समिति के द्वारा अनुमन्य किया गया।

Finance Controller
Uttarakhand Open University
Haldwani

प्रो० [illegible]
कुलपति